न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/79/2024	2024/72	16.12.2024	08.01.2025

1. कैलाश पुत्र मोठिया जाति अहीर निवासी ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

अपीलान्ट

बनाम

1 तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 2568 दिनांक 17.11.2024 ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री सुधीर कुमार, विनेश शर्मा — वकील अपीलान्टान

–: निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2568 निर्णय दिनांक 17.11.2024 ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 649 रकबा 0.25 है0 सालिम, 604 रकबा 0.23 है0, 606 रकबा 0.43 है0 किता 2 रकबा 0.57 है0 का1/50 भाग, 152 रकबा 0.04 है0, 420 रकबा 0.92 है0, 645 रकबा 0.44 है0 किता 3 रकबा 1.40 है0 का 1/20 भाग, 623 रकबा 0.35 है0 का 5/28 भाग, 632 रकबा 0.32 है0 का 1/5 भाग, 598 रकबा 0.32 है0 का 1/20 भाग, 654 रकबा 0.08 है0, 657 रकबा 0.39 है0 किता 2 रकबा 0.47 है0 का 1/4 भाग, 584 रकबा 0.34 है0, 605 रकबा 0.15 है0 किता 2 रकबा 0.49 है0 का 1/20 भाग वाके ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास में स्थित है। आराजी मिन अपीलान्ट की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिस पर के.सी. सी.ऋण प्राप्त करने के लिऐ बडोदा राजस्थान क्षत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खैरथल में आवेदन किया बैक द्वारा कार्यवाही पूर्ण कर मिन अपीलान्ट का ऋण स्वीकृत कर लिया गया तथा मिन अपीलान्ट को उक्त आराजी बैक के नाम रहन कराने हेतु कहा गया। मिन अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी बैक के नाम रहन कराने वास्ते अपने समस्त दस्तावेजात 6(1) इत्यादि पटवारी हल्का बधेरीकला तहसील किशनगढबास को दिया गया जिस पर पटवारी हल्का बधेरीकला द्वारा रहननामा नामान्तकरण संख्या 2568 दिनाक 04.11.2024 को दर्ज कर वास्ते स्वीकृती हेतु तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष पेश किया गया। जिसे तहसीलदार किशनगढबास द्वारा बेजा रूप से यह लिखते हुये Mutabik Patwari Report After Reexamine And Enclosed Decoument Are Not Scan And Readable With Mismatch Mutation is Not Acceptable खारिज कर दिया गया। निर्णय पारित करने से पूर्व तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट को सूचित नही किया गया। नामान्तकरण पर कोनसे दस्तावेज स्कैन नही हुऐ जबकि उक्त दस्तावेजात पटवारी हल्का द्वारा स्कैन किये गये थे, फिर भी यदि कोई दस्तावेज साफ स्कैन नही हुआ तो पटवारी हल्का से स्कैन करा सकते थे, ऐसी कोई सूचना लिखित में अथवा मौखिक सूचना उपलब्ध नही करायी लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 17.11.2024 नामान्तकरण संख्या 2568 वाके ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि आराजी खसरा न0 649 रकबा 0.25 है0 सालिम, 604 रकबा 0.23 है0, 606 रकबा 0.43 है0 किता 2 रकबा 0.57 है0 का 1/50 भाग, 152 रकबा 0.04 है0, 420 रकबा 0.92 है0, 645 रकबा 0.44 है0 किता 3 रकबा 1.40 है0 का 1/20 भाग, 623 रकबा 0.35 है0 का 5/28 भाग, 632 रकबा 0.32 है0 का 1/5 भाग, 598 रकबा 0.32 है0 का 1/20 भाग, 654 रकबा 0.08 है0, 657 रकबा 0.39 है0 किता 2 रकबा 0.47 है0 का 1/4 भाग, 584 रकबा 0.34 है0, 605 रकबा 0.15 है0 किता 2 रकबा 0.49 है0 का 1/20 भाग वाके ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास पर के.सी.सी.ऋण प्राप्त करने के लिऐ बडोदा राजस्थान क्षत्रीय् ग्रामीण बैंक शाखा खैरथल में आवेदन किया कार्यवाही पूर्ण कर मिन अपीलान्ट का ऋण स्वीकृत कर लिया गया तथा उक्त आराजी बैक के नाम रहन कराने हेतु कहा गया। जिस पर आराजी बैक के नाम रहन कराने समस्त दस्तावेजात 6(1) इत्यादि पटवारी हल्का बधेरीकला तहसील किशनगढबास को दिया गया। जिस पर पटवारी हल्का बधेरीकला द्वारा रहननामा नामान्तकरण संख्या 2568 दिनाक 04.11.2024 को दर्ज कर वास्ते स्वीकृती हेतु तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया। जिसे तहत अदालत द्वारा बेजा रूप से यह लिखते हुये Mutabik Patwari Report After Reexamine And Enclosed Decoument Are Not Scan And Readable With Mismatch Mutation is Not Acceptable खारिज कर दिया गया। रिकार्ड का अवलोकन किया गया तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है, अपील अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, नामान्तकरण में वर्णित 6(1) के सलग्न अन्य दस्तावेजात की पुनः जॉच कर पूर्ति करायी जाकर अपीलान्ट को पुनः सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 17.11.2024 नामान्तकरण संख्या 2568 ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)